किशोरी बालिकाएं

अध्याय–6
किशोरी बालिकाएं

परिचय

किशोरावस्था की समस्याओं, बाल्यावस्था से युवावस्था के महत्वपूर्ण संक्रमण–काल एवं शारीरिक परिवर्तन के साथ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये 'किशोरी शक्ति योजना एवं किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना या सबला (सबला)' का प्रारम्भ समन्वित बाल विकास सेवा के मंच से किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण एवं जीवन शैली से सम्बन्धी व्यवहारिकता के प्रति जागरूक करना और किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार एवं नारीत्व के अवस्थांतर को सरल बनाने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के अनुक्रम में किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य आवश्यकता को जीवन के इस चरण में सही स्थिति में लाना था। इन दोनों योजनाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है।

6.1 किशोरी शक्ति योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर सुधारने, उनके घरेलू एवं व्यावसायिक कौशल को सुधारने हेतु सुसज्जित करने एवं उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति, जागरूकता सहित वैयक्तिक साफ सफाई, पोषण, परिवार कल्याण एवं प्रबन्धन के साथ उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने हेतु 'किशोरी शक्ति योजना' नामक एक योजना प्रारम्भ की गयी। यह योजना प्रदेश के 53 जनपदों में संचालित थी जिसमें से 14 जनपदों को इस निष्पादन लेखापरीक्षा में आच्छादित किया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

6.1.1 वित्तीय प्रबन्धन

यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसके अन्तर्गत ₹ 1.10 लाख की धनराशि प्रति ब्लॉक/समन्वित बाल विकास सेवायें परियोजना प्रति वर्ष योजना के कार्य–कलापों को निष्पादित किये जाने हेतु प्रदेश को समन्वित बाल विकास सेवायें योजना हेतु अवमुक्त धनराशि के माध्यम से प्रदान की जाती है।

6.1.1.1 आवंटन एवं व्यय

प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 33.10 करोड़[1] की आवश्यकता के सापेक्ष ₹ 32.42 करोड़ आवंटित किया गया था, ₹ 18.88 करोड़ (आवंटित धनराशि का 58 प्रतिशत) अवमुक्त किया गया था एवं ₹ 11.69 करोड़ (अवमुक्त धनराशि का 62 प्रतिशत) का व्यय किया गया ***(परिशिष्ट 6.1)***। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–15 की अवधि में वांछित, अवमुक्त एवं व्यय की गई धनराशि को नीचे दिये गये चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है:

---

[1] कुल 602 परियोजनाए x 60 किशोरी/परियोजना x ₹ 1833 x 5 वर्ष = 331039800।

Chart 6.1: Funds alloted, released and expenditure

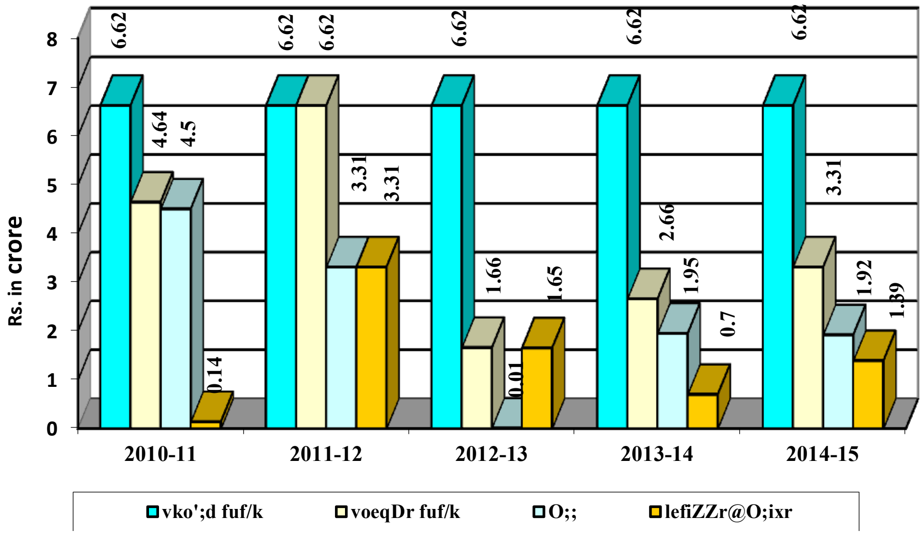

इस प्रकार आवंटित धनराशि एवं अवमुक्त धनराशि के मध्य तथा अवमुक्त धनराशि एवं वास्तविक व्यय के मध्य बहुत बड़ा अन्तर था। अपर्याप्त बजट प्रावधानों एवं उपलब्ध धनराशि के अनुपयोगी रहने के परिणामस्वरूप लक्ष्यों के भौतिक उपलब्धि में कमी थी जिसकी चर्चा प्रस्तर 6.1.3 में की गयी है।

नमूना जांच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2014–15 में प्रशिक्षण हेतु ₹ 155.24 लाख की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र ₹ 139.34 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसका उपभोग नहीं किया जा सका क्योंकि धनराशि 31 मार्च 2015 को प्राप्त हुई थी, तथा निदेशालय द्वारा धनराशि देर से अवमुक्त किये जाने के कारण व्यपगत हो गयी, जिससे ₹ 155.24 लाख की देनदारी का सृजन हुआ।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि योजना को बजट की उपलब्धता के आधार पर क्रियान्वित किया गया था और जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा देयकों के भुगतान न करने के कारण धनराशि व्यपगत हो गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा समय से धनराशि अवमुक्त करने और योजना के क्रियान्वयन का बारीकी से अनुश्रवण किया जाना चाहिए था जिससे क्रियान्वयन में देरी से धनराशियों के समर्पण से बचा जा सके।

6.1.2 किशोरी बालिकाओं का अपर्याप्त आच्छादन

किशोरी शक्ति योजना 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की किशारियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी थी परन्तु योजना के अन्तर्गत आच्छादित 53 जनपदों में एक वर्ष में केवल 60 किशोरियाँ ही प्रति ब्लाक (परियोजना) आच्छादित की गयी थीं वहीं दूसरी तरफ, प्रदेश के शेष 22 जनपदों में इसी प्रकार के उद्देश्य के साथ सबला योजना संचालित थीं जिसमें ऐसी कोई सीमा नहीं थी और ब्लाक की समस्त किशोरियाँ आच्छादित थीं।

नमूना जांच किये गये 14 जनपदों के अभिलेखों में परिलक्षित हुआ कि प्रति ब्लॉक आच्छादित 60 किशोरियों को सीमित किये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2012–15 की

अवधि में किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत कुल 70,74,240 किशोरियों की जनसंख्या के सापेक्ष केवल 35,100 किशोरियाँ ही आच्छादित हुयी ***(परिशिष्ट 6.2)***। अतः, किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत इन जनपदों में केवल एक प्रतिशत किशोरियाँ ही आच्छादित हो सकी। दूसरे शब्दों में, जनपदों में 99 प्रतिशत किशोरियाँ पोषण सहायता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण से वंचित रहीं।

इस प्रकार, योजना के सीमित दायरे ने उन उद्देश्यों को विफल किया जिसके लिये यह योजना प्रारम्भ की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नमूना जांच जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य निष्पादित किया गया था। तथापि, उत्तर में शासन ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2015) किया।

संस्तुतिः शासन को अन्य 22 जनपदों में संचालित सबला योजना के अनुसार समस्त किशोरियों को आच्छादित करने हेतु योजना के दायरे में विस्तार करना चाहिए।

6.1.3 किशोरियों को पोषण सहायता

किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत, 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, योजना के उद्देश्यों में से एक था। तथापि विभाग ने प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रति वर्ष केवल तीन किशोरियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिये जाने का आदेश दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत अधिकांश किशोरियां पोषण सहयोग प्राप्त करने हेतु आच्छादित नहीं थी।

नमूना जांच जनपदों में पाया गया कि विभागीय आदेश के अनुपालन में किशोरियों के कुल जनसंख्या की केवल 5 से 6 प्रतिशत ही अनुपूरक पुष्टाहार से लाभान्वित हुयी। इस प्रकार वर्ष 2012–15 की अवधि में लगभग 95 प्रतिशत किशोरियाँ अनुपूरक पुष्टाहार के निहित लाभों से वंचित रहीं ***(परिशिष्ट 6.3)***।

विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया परन्तु शासन द्वारा समापन गोष्ठी की वार्ता में बताया गया कि तथ्यों को संज्ञान में लिया गया है, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

6.1.4 स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

इलाहाबाद में किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत 602 परियोजनाओं में 1,80,600 किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण के सन्दर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं 30 किशोरियों के दो बैचों में प्रति परियोजना/ब्लॉक 60 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना था। व्यावसायिक प्रशिक्षण में सिलाई, अचार बनाना आदि क्षेत्र आच्छादित थे। ***(परिशिष्ट 6.4)***। योजना के अन्तर्गत दिये गये प्रशिक्षण की स्थिति नीचे तालिका में दी गयी है:

सारिणी 6.1: दिये गये प्रशिक्षण की स्थिति (प्रदेश स्तर पर)

वर्ष	परियोजनाओं की कुल संख्या	मानक के अनुसार लाभार्थियों की लक्षित संख्या[2]	लाभार्थियों की वास्तविक संख्या	कमी	कमी प्रतिशत में
2010–11	602	36,120	25,922	10,198	28
2011–12	602	36,120	18,040	18,080	50
2012–13	602	36,120	0	36,120	100
2013–14	602	36,120	10,981	25,139	70
2014–15	602	36,120	20,940	15,180	42
योग	**3,010**	**1,80,600**	**75,883**	**1,04,717**	**58**

(स्रोतः निदेशालय, समन्वित बाल विकास सेवायें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 में प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था, जबकि शेष चार वर्षों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष किशोरियों को दिये गये प्रशिक्षण में 28 से 70 प्रतिशत की कमी थी। नमूना परीक्षित जनपदों के लेखा अभिलेखों की जॉच में परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2010–15 की अवधि में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में कुल 87 प्रतिशत की कमी थी। ***(परिशिष्ट 6.5)***

उत्तर में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

संस्तुतिः शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पात्र किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये और प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अपेक्षित निधि उपलब्ध करायी जाये।

6.1.5 अपात्र लाभार्थियों का चयन

किशोरी शक्ति योजना 11–18 वर्ष के आयु की किशोरियों हेतु तैयार की गयी थी। नमूना जाँच जनपदों के लेखा अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 14 में से 05 नमूना जांच जनपदों में निर्धारित आयु से अधिक 134[3] अपात्र लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

उत्तर में शासन ने बताया कि इस सम्बन्ध में जनपदों से सूचना मांगी गयी है।

6.1.6 व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अनुवर्ती कार्यवाही की प्रणाली का अभाव

किशोरियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु व्यवसायिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण की गतिविधियों को किया जाना था। किशोरियों को विभिन्न उत्पादक गतिविधयों को प्रारम्भ करने एवं समाज के लिये उपयोगी सक्रिय सदस्य बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी को बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से परामर्श कर व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम आदि आयोजित किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच में परिलक्षित हुआ कि विभाग द्वारा किशोरियों को दिये गये प्रशिक्षण पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया

[2] 60 किशोरियॉ प्रति परियोजना
[3] अम्बेडकर नगर–62, बरेली–10, हरदोई–51, झांसी–07 एवं वाराणसी–04

था। नमूना जाँच जनपदों की लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान भी तथ्य की पुष्टि की गयी।

उत्तर में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2015)।

संस्तुतिः शासन द्वारा एक अनुवर्ती कार्यवाही तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे योजना के अन्तर्गत दिये गये प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन किया जा सके।

6.2 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना या सबला (सबला)

किशोरी बालिकाओं के बहुआयामी समस्याओं को ध्यान में रखते हुये पूर्ववर्ती 'किशोरी शक्ति योजना' एवं 'किशोरियों के लिये पोषण कार्यक्रम' को सम्मिलित कर किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गॉधी योजना या सबला बनायी गयी (2010)। सबला के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं एवं इसके अन्तर्गत आच्छादित होने वाली किशोरियाँ नीचे सारणी में सूचीबद्ध हैंः

सारणी 6.2: योजना के पोषण एवं गैर–पोषण घटक का विवरण

पोषण घटक	गैर–पोषण घटक
इसमें टेक होम राशन या पका गर्म भोजन शामिल है 1. 11–14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाऐं जो स्कूल न जाती हों, और 2. 14–18 वर्ष के आयु वर्ग की सभी बालिकाएं (स्कूल जाने वाली एवं स्कूल न जाने वाली दोनों)	इस घटक में शामिल है– 1. 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को अनुपूरक पोषण हेतु आयरन फोलिक ऐसिड एवं स्वास्थ्य जांच आदि, 2. स्कूल न जाने वाली 16–18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण 3. 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूल जाने वाली किशोरियों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण एवं जीवन कौशल शिक्षा आदि पर मार्गदर्शन

यह योजना समन्वित बाल विकास सेवाओं के मंच का उपयोग करते हुये राज्य के 22 जनपदों[4] में क्रियाशील थी, जिसमे से निष्पादन लेखापरीक्षा में 20 नमूना जांच जनपदों में से 06 जनपदों[5] को आच्छादित किया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

6.2.1 वित्तीय प्रबन्धन

सबला एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है और भारत सरकार द्वारा अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम घटक हेतु चार किश्तों में एवं गैर अनूपरक पोषाहार कार्यक्रम घटक हेतु दो किश्तों में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी।

6.2.1.1 पोषक घटक का वित्त पोषण

वित्तीय मापदण्डों के अनुसार[6] भारत सरकार को, पोषण की लागत का 50 प्रतिशत की सीमा तक या किये गये वास्तविक व्यय जो भी कम हो, साझा करना था और शेष 50

[4] आगरा, अमेठी, बहराइच, बांदा, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रूखाबाद, जालौन, ललितपुर, लखनऊ महाराजगंज, महोबा, मीरजापुर, पीलीभीत, रायबरेली, सहारनपुर, श्रावस्ती, सीतापुर और सोनभद्र।

[5] आगरा, बांदा, बुलन्दशहर, देवरिया, सहारनपुर एवं सीतापुर।

[6] प्रत्येक किशोरी को ₹ 5 प्रतिदिन के दर से वर्ष में 300 दिनों के लिये आवश्यक प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रतिदिन कम से कम 600 कैलोरी एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा दिया जाना था।

प्रतिशत राज्य सरकार को साझा करना था। वर्ष 2010–15 के लिये वर्षवार अवमुक्त केन्द्रांश, राज्यांश एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय ***परिशिष्ट 6.6*** में दिये गये हैं।

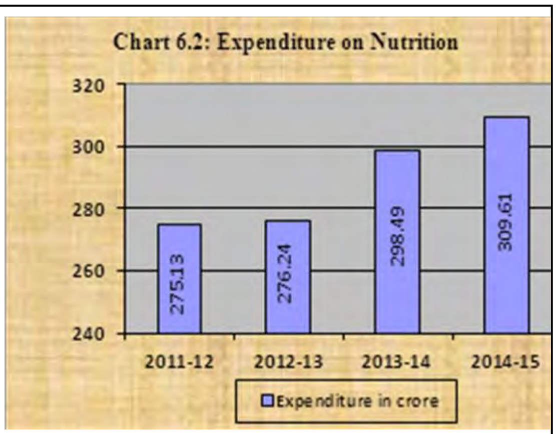

भारत सरकार ने 2010–15 की अवधि में केन्द्रीय सहायता (97.77 लाख किशोरियों) के रूप में ₹ 564.34 करोड़ उत्तर प्रदेश शासन को अवमुक्त किया। राज्य सरकार ने केन्द्रांश को शामिल करते हुये ₹ 11,75.74 करोड़ वर्ष 2010–15 की अवधि में अवमुक्त किया जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा इस अवधि में ₹ 1,186.41 करोड़ का उपभोग करना दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश शासन ₹ 28.86 करोड़ की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार से प्राप्त करने में विफल रहा, जिसका कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

उत्तर में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि शेष केन्द्रीय अनुदान को प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

6.2.1.2 व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाओं हेतु वित्त पोषण

भारत सरकार के केन्द्रीय सहायता के माध्यम से गैर पोषण घटक का 100 प्रतिशत वित्त पोषण किया जाना था। भारत सरकार ने 2010–15 की अवधि में ₹ 14.59 करोड़ अवमुक्त किया जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा केवल ₹ 10.09 करोड़ ही व्यय किया जा सका। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में निधियों की उपलब्धता के बावजूद भी कोई व्यय नहीं किया गया था। अग्रेतर, उपलब्ध निधियों का 42 प्रतिशत तक कम उपभोग किये जाने के कारण विभाग वर्ष 2012–15 के मध्य भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता पाने मे असमर्थ रहा। ***(परिशिष्ट 6.7)***

नमूना जाँच जनपदों के लेखा अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में जनपदों को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी। अग्रेतर, निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रशिक्षण की ₹ 1.01 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण पांच नमूना जांच जनपदों में वर्ष 2014–15 के मध्य इसका उपभोग नहीं किया जा सका, जिससे अवशेष देयको का भुगतान न किये जाने के कारण ₹ 1.01 करोड़ के दायित्व का सृजन हुआ।

इस प्रकार विभाग केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशियों का उपभोग करने में असफल रहा जिससे आगामी वर्षों 2012–15 के मध्य केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका, परिणामस्वरूप लक्ष्यों के भौतिक उपलब्धि में कमी रही जिसकी चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों में की गयी है।

उत्तर में शासन ने बताया (दिसम्बर 2015) कि योजना 2010–11 एवं 2012–13 में संचालित नहीं थी तथा जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा देयकों के भुगतान न करने के कारण धनराशि व्यपगत हो गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना 2010–11 एवं 2012–13 में संचालित थी और योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष

2010–11 में ₹ 9.73 करोड़ अवमुक्त किया गया था तथा वर्ष 2012–13 के प्रारम्भ में ₹ 9.69 करोड़ उपलब्ध था। धनराशियों के व्ययगत होने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जनपद स्तर पर बारीकी से योजना के संचालन का अनुश्रवण किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि देयकों का भुगतान जिला प्राधिकारियों द्वारा समय से किया जाय।

6.2.2 अपर्याप्त नियोजन

भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा–निर्देशों में, लाभार्थियों की पहचान के लिये आधारभूत सर्वेक्षण हेतु एक योजना तैयार करना, योजना को लागू करने के लिये समन्वित बाल विकास सेवाओं के कर्मियों, अन्य मंत्रालयों/विभागों के पदाधिकारियों एवं भागीदारों हेतु राज्य, जनपद एवं परियोजना स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करना, योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने/विज्ञापन करने के लिये प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार करना, राज्य/जनपद/परियोजना/ ग्राम स्तर पर अन्य विभागों[7] से प्रभावशाली अभिसरण तंत्र स्थापित करना; और जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के परामर्श से गैर पोषण सेवाओं हेतु मातृ स्वयं सेवी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/सामुदाय आधारित संगठन के चयन की व्यवस्था करना था।

निदेशालय के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि कार्यशालाएं आयोजित किये जाने, प्रचार प्रसार गतिविधियॉं एवं अन्य विभागों/गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी अभिसरण तंत्र हेतु ऐसी कोई योजना राज्य में तैयार नहीं की गयी थी। इसने योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जैसे कि गैर पोषण घटक क्रियान्वित नहीं हुआ, लाभार्थियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया एवं लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या अनुपूरक पुष्टाहार के लाभों से वंचित रही। अग्रेतर नमूना जाँच जनपदों के लेखा अभिलेखों की जाँच में भी इन तथ्यों की पुष्टि की गयी।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि सबला प्रशिक्षण किट के साथ किशोरी बालिका माड्यूल उपलब्ध करायी गयी थी जबकि नियोजन के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

6.2.3 क्रियान्वयन

6.2.3.1 पोषण घटक

प्रत्येक किशोरी[8] को आवश्यक प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रतिदिन कम से कम 600 कैलोरी एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा को प्रतिदिन सेवन करने हेतु टेक होम राशन 150 ग्राम प्रतिदिन एमाइलेज रिज एनर्जी फूड के रूप में सप्ताह में एक बार दिया जाना[9] था। इसके लिये प्रत्येक किशोरी पर ₹ 5 प्रतिदिन वर्ष में 300 दिनों के लिये व्यय करना था।

नमूना जाँच के छः जनपदों के लेखा अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2010–15 की अवधि में 13.45 लाख किशोरियां टेक होम राशन से वंचित रहीं ***(परिशिष्ट 6.8)*** इससे स्पष्ट है कि योजना के अन्तर्गत इन जनपदों में 28.21 प्रतिशत पात्र किशोरियॉं पोषण सहायता प्राप्त नहीं कर पायीं।

[7] शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम एवं रोजगार, युवा कल्याण एवं पंचायती राज संस्थाएं।
[8] 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली एवं 14 से 18 वर्ष की सभी किशोरियॉं।
[9] नवम्बर 2010 से।

उत्तर में शासन ने बताया कि इस घटक के अन्तर्गत 85 प्रतिशत किशोरियाँ लाभान्वित हुयीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा योजना में निहित पात्र किशोरियों को पोषण हेतु निधि की उपलब्धता एवं टेक होम राशन का विस्तार करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

संस्तुतिः शासन को यह अनुश्रवण एवं सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक जनपद में सभी पात्र किशोरियों को अनुोदित मात्रा में टेक होम राशन उपलबध हो।

6.2.3.2 गैर पोषण घटक

इस घटक के अन्तर्गत 11–18 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को अनुपूरक के रूप में आयरन फोलिक ऐसिड, स्वास्थ्य जॉच एवं संदर्भन सेवाएं तथा 11–18 वर्ष की सभी किशोरियों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण हेतु परामर्श/मार्गदर्शन, किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, शिशुओं की देखभाल, जीवन कौशल शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, प्रदान की जानी थी। अग्रेतर, 16–18 वर्ष के आयु वर्ग की सभी किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। लेखापरीक्षा में पायी गयी कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

(i) व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं जैसे–केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र तथा औधौगिक प्रतिष्ठानों द्वारा व्यावसायिक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, मानक के अनुसार प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्राप्त करने में सहायता, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षण के परिणाम के डेटाबेस का रख रखाव किया जाना था। किशोरियों की संख्या एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण माड्यूल विभाग द्वारा निश्चित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि नमूना जाँच छः जनपदों में से किसी में भी वर्ष 2011–15 की अवधि में किशारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था जबकि 2011–12 में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग, लखनऊ को ₹ 34.70 लाख दिया गया था जो कि अप्रयुक्त रहा। व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभाव में किशोरियॉ (16–18 वर्ष की) उनके रोजगार परकता में सुधार के लिये आवश्यक कौशल विकास प्रशिक्षण से वंचित रहीं।

शासन ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि अवमुक्त धनराशि को वापस करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

संस्तुतिः शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी किशोरियों को योजना के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

(ii) सबला प्रशिक्षण किट की अपर्याप्त आपूर्ति

विभिन्न स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों को समझने में किशोरियों को सहायता प्रदान करने हेतु एक प्रशिक्षण किट प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्र को प्रदान किया जाना था। क्रियाकलापों को सुरूचिपूर्ण एवं पारस्परिक तरीके से सम्पादित किया जाना था। सिखाये जाने की प्रक्रिया को मनोरंजक एवं पारस्परिक बनाये जाने हेतु प्रशिक्षण किट में अनेक प्रकार के खेल एवं क्रियाकलापों जैसे फ्लैश कार्ड, प्रश्नोत्तरी आदि शामिल थे।

लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 22 जनपदों के 52,173 आँगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक 2,60,865 किटों[10] के सापेक्ष केवल 26,084 प्रशिक्षण किट (10 प्रतिशत) ही वर्ष 2014–15 में निदेशालय द्वारा प्रदान किये गये। इस प्रकार किशोरियाँ सबला प्रशिक्षण किटो की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण विभिन्न स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुददों को सुरूचिपूर्ण एवं पारस्परिक रूप से समझने से वंचित रहीं।

शासन ने उत्तर में बताया कि प्रति परियोजना 150 सबला प्रशिक्षण किट प्रदान किये गये थे जबकि नमूना जांच के जनपदों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–15 की अवधि में मात्र 11 प्रतिशत ***(परिशिष्ट 6.9)*** सबला प्रशिक्षण किट ही प्रदान किये गये थे।

संस्तुतिः शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को समय से प्रशिक्षण किट की आपूर्ति की जाये।

(iii) किशोरी कार्ड का रख रखाव न किया जाना

निदेशालय द्वारा प्रत्येक किशोरी के लिये एक कार्ड जिसे किशोरी कार्ड कहा जाता है, उपलब्ध कराया जाना था एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों पर इसका रख रखाव किया जाना था, जिसमें सबला योजना के अन्तर्गत भार, ऊँचाई, बाडी मास इंडेक्स, अनुपूरक के रूप में आयरन फोलिक एसिड, सन्दर्भन एवं सेवाएं सम्बन्धी सूचनाएं रखी जानी थी।

नमूना जाँच जनपदों के लेखा अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि 2010–15 की अवधि में निदेशक, समन्वित बाल विकास सेवायें विभाग द्वारा किसी भी जनपद में किशोरी कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस कार्ड के अभाव में किशोरियों के स्वास्थ्य स्तर के लेखांकन में ट्रैक्ड एवं अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

शासन ने उत्तर में बताया कि सबला प्रशिक्षण किट में किशोरी कार्ड प्रदान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2010–15 की अवधि में केवल 10 प्रतिशत सबला प्रशिक्षण किट ही प्रदेश में प्रदान किये गये थे। तब भी शेष 90 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों को किशोरी कार्ड प्रदान नहीं किया गया था।

6.3 निष्कर्ष

- किशोरी शक्ति योजना जो कि प्रदेश राज्य के 53 जनपदों में क्रियान्वित है और केवल एक प्रतिशत किशोरियां ही आच्छादित है अतः प्रदेश में किशोरियों के पोषण स्तर एवं व्यावसायिक कौशल पर कम प्रभाव पड़ा। किशोरी शक्ति योजना की तुलना में सबला योजना जो कि राज्य के शेष 22 जनपदों में क्रियान्वित थी, का थोड़ा अधिक प्रभाव रहा क्योंकि इसमें 14 से 18 वर्ष के आयु–वर्ग की समस्त किशोरियां एवं स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियाँ भी अच्छादित थी।

(प्रस्तर 6.1.2)

- किशोरी शक्ति योजना में वर्ष 2012–13 में किशोरियों को व्यावसायिक एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया था, जबकि शेष चार वर्षों में 28 से 70 प्रतिशत की कमी थी।

(प्रस्तर 6.1.4)

[10] 52173 ऑगनबाड़ी केन्द्रों को प्रत्येक को एक किट प्रतिवर्ष 5 वर्षो तक

- सबला योजना के अन्तर्गत निधियों का आवंटन एवं उपभोग थोड़ा अधिक था। जबकि 28 प्रतिशत पात्र किशोरियों को टेक होम राशन प्रदान नहीं किया गया, वर्ष 2011–15 की अवधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया एवं लगभग 90 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों को सबला प्रशिक्षण किट प्रदान नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 6.1.3.1 और 6.2.3.2(i))

अतः किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य की दोनों योजनाएं यथा–किशोरी शक्ति योजना एवं सबला में संरचनात्मक एवं कार्यान्वयन में बड़ी कमियाँ थीं जिससे कि राज्य की अधिकांश किशोरियाँ योजना के लाभों से वंचित रहीं।